

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय आयुध उपस्कर निर्माणी हजरतपुर

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान)

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA O.E.F. HAZRATPUR

(Autonomous body under Ministry of Education, Government of India)

आयुध उपस्कर निर्माणी, राष्ट्रीय राजमार्ग-2, जिला फिरोजाबाद-283103 (उ. प्र.)

Ordnance Equipment Factory, NH-2, District- Firozabad- 283103, Uttar Pradesh

E-mail: kvhazratpur01@gmail.com ☎ 05612-297721 (O), 297720(R) Website: <https://oefhazratpur.kvs.ac.in>

CBSE Affiliation No.:2100056, CBSE School No.:64019, KV Code-1726, KV Station Code-406 UDISE Code-09160307503



Q- 172601/2024-25/के.वि./ ओ.ई.एफ. हजरतपुर/

25-01-2025

सत्र 2025-26 के लिए कैंटीन (चाय/नाश्ता/भोजन) के लिए निविदा प्रपत्र

केन्द्रीय विद्यालय, ओईएफ, हजरतपुर, फिरोजाबाद भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन करता है जिसे स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया है। केन्द्रीय विद्यालय, ओईएफ, हजरतपुर, फिरोजाबाद द्वारा निम्नलिखित मदों की आपूर्ति के लिए खानपान सेवा प्रदाताओं से सीलबंद प्रतिस्पर्धात्मक निविदा आमंत्रित कर रहा है, जिनके पास वैद्य खाद्य और सुरक्षा प्रमाण पत्र हैं।

सेवा का संक्षिप्त विवरण

- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों को मेनू (संलग्न) के अनुसार भोजन का प्रावधान केन्द्रीय विद्यालय, ओईएफ, हजरतपुर, फिरोजाबाद पर विभिन्न कार्यक्रमों के प्रतिभागियों या छात्रों और कर्मचारियों को प्रदान किया जाना है।
- केन्द्रीय विद्यालय, ओईएफ, हजरतपुर, फिरोजाबाद के छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल के कार्य दिवसों में चाय / नाश्ता आदि।

S. No.	Item/Descriptions
1	नाश्ता: 200 मिलीलीटर उबला हुआ दूध + मक्खन के साथ 04 Bread / जैम के साथ 04 Bread / 06 से 08 पीस इडली, सांभर, चटनी / 02 पीस आलू पराठा के साथ दही और अचार या पोहा (150 ग्राम) या पुरी 08 पीस सब्जी / बोंडा (आलू और दाल) के साथ 02 पीस (50 ग्राम प्रत्येक) और 02 केला या 01 सेब (हर प्लेट में फल अनिवार्य)।
2	दोपहर का भोजन: चपाती, चावल, मीठा, कोई भी दाल या राजमा या चना, मौसमी मिश्रित सब्जी (पनीर), सलाद, पापड़, आचार, रायता ।
3	शाम : चाय/फ्रूट जूस 200 मिलीलीटर (अंगूर/अनार/संतरा/आम) के साथ स्नैक्स (यानी 2 सैंडविच/02 समोसा/02 ब्रेड पकौड़ा/06 पनीर पकोड़ा./02 पीस) केला /फ्राई/ 02 पीस दाल वड़ा/ 02 पीस मेडुवाडा / 02 पीस वेज पफ)।
4	रात का खाना: चपाती (सुखा रोट/तंदूरी रोटी), चावल, मिठाई, दाल (राजमा या चना, मौसमी मिश्रित), पनीर सब्जी, सलाद, पापड़, अचार और पीपीएलयू 200 मिलीलीटर उबला हुआ दूध।
5	BS&G Refreshment: 03 pcs Idli with Sambhar or Chatni /Uppma/Poha (150Gram) and 01 Banana & Fruit Juice 200 ml(Grapes/pomer granite/orange/mango).
6	दिन-प्रतिदिन कैंटीन उपयोग की वस्तुएं: – भाग-एफ में संलग्न सूची के अनुसार
7	कैंटीन का किराया प्रति माह (बिजली शुल्क को छोड़कर)

छात्रों/व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार भोजन की मात्रा बिना किसी प्रतिबंध या ऊपर उल्लिखित सीमा के आपूर्ति की जानी चाहिए।

टेबल नमक, चीनी और अचार को सभी भोजन के साथ परोसा जाना चाहिए। खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली सब्जियां ताजा होनी चाहिए।

भोजन की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं। परोसा गया चावल प्रीमियम गुणवत्ता का होना चाहिए और उपयोग किया जाने वाला तेल ब्रांडेड डबल रिफाईंड तेल होना चाहिए। आटा किसी भी सर्वोत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए।

प्रिंसिपल की मंजूरी के बिना मेनू में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

Sanjay Kumar
Principal

3. Bid Price

1. यह अनुबंध केंद्रीय विद्यालय, ओईएफ, हजरतपुर, फिरोजाबाद को उपर्युक्त वस्तुओं /सेवाओं की आपूर्ति के लिए होगा। बोलीदाता कोटेशन (संलग्न) प्रारूप में मद/सेवाओं का उल्लेख करेगा।
2. बोलीदाता द्वारा देय सभी शुल्कों, करों / जीएसटी और अन्य शुल्कों को कुल मूल्य में शामिल किया जाएगा। हालांकि, लागू कर और शुल्क को अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए।
3. बोलीदाता द्वारा उद्धृत किराया बिना बिजली चार्ज के होगा। बिजली बिल का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।
4. बोलीदाता द्वारा कोटेशन में लिखित अनुबंध की अवधि के लिए तय की जाएंगी, यानी अनुबंध देने की तारीख से एक वर्ष के लिए।
5. कीमतों को केवल भारतीय रुपये में उद्धृत किया जाना चाहिए।
6. प्रत्येक बोलीदाता केवल एक कोटेशन प्रस्तुत करेगा।
7. ई-मेल/फैक्स आदि के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने पर कोटेशन स्वीकार्य नहीं हैं।
8. टेन्डर / कोटेशन निरंक रुपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ जोकि केंद्रीय विद्यालय, ओईएफ, हजरतपुर, फिरोजाबाद वी. वी. एन. Account के पक्ष में जमा की जानी चाहिए।
9. फर्म को जीएसटी/आईटी-पैन/टैन/फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट के पंजीकरण के संबंध में उपयुक्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करने चाहिए।
10. यदि वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जाता है, तो बोली दाता अपने साथ निविदा शुल्क के रूप में वीवीएन खाता केंद्रीय विद्यालय, ओईएफ, हजरतपुर, फिरोजाबाद के पक्ष में फॉर्म के साथ निरंक रुपये की ईएमडी का एक डीडी / cheque लाएगा।
11. बोलीदाता निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित पूर्व-अनुबंध अखंडता संधि संलग्न करेगा।

4. कोटेशन की वैधता:

कोटेशन कोटेशन जमा करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा के बाद कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा।

5. कोटेशनों का मूल्यांकन:

क्रेता निर्धारित उद्धरणों का मूल्यांकन और तुलना करेगा, यानी जो हैं:

1. ठीक से हस्ताक्षरित, और
2. नियम और शर्तों और विनिर्देशों के अनुरूप के होंगे।

मूल्यांकन सभी मदों/सेवाओं के लिए एक साथ किया जाएगा। जिन मदों/सेवाओं के लिए कोई दर उद्धृत नहीं की गई है, उन्हें शून्य माना जाएगा और तदनुसार कुल राशि की गणना की जाएगी। किसी एक या अधिक वस्तुओं की आंशिक मात्रा के लिए बोली लगाने वाले बोलीदाता को अन-रिस्पॉन्सिव माना जाएगा। क्रेता यह ध्यान रखेगा कि उद्धृत दर प्रतिस्पर्धी होगी और नियमों और शर्तों के अनुसार उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगी। केंद्रीय विद्यालय, ओईएफ, हजरतपुर, फिरोजाबाद उत्तरदायी बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करेगा, जिसकी सभी वस्तुओं के लिए कुल लागत सबसे कम है। हालांकि, यह खरीदार को अनुबंध देने से पहले किसी भी और शर्तों को लागू करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।

6. अनुबंध प्रदान करना:

1. क्रेता उस बोलीदाता को ठेका प्रदान करेगा जिसका कोटेशन काफी उत्तरदायी निर्धारित किया गया है और जिसने पैरा 3 (बी एंड सी) और उपरोक्त 5 के अनुसार सबसे कम कीमत की पेशकश की है।
2. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है, उसे कोटेशन वैधता अवधि की समाप्ति से पहले कार्यालय द्वारा अनुबंध प्रदान करने के बारे में सूचित किया जाएगा।
3. अधिनिर्णय की अधिसूचना में इकाई मूल्य या स्वीकार किए गए किसी अन्य नियम और शर्तों में किसी भी परिवर्तन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।
4. आपूर्ति की गई वस्तुओं /सेवाओं पर सामान्य वाणिज्यिक वारंटी/गारंटी लागू होगी।

5. आपूर्ति पूरी होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।
- i. उपरोक्त के बावजूद, क्रेता किसी भी उद्धरण को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध देने से पहले किसी भी समय सभी उद्धरणों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ii. सफल बोलीदाता को ठेका प्रदान करते समय वीवीएन खाते केंद्रीय विद्यालय, ओईएफ, हजरतपुर, फिरोजाबाद के पक्ष में आरटीजीएस या डीडी के माध्यम से 1,000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि करनी होती है।

7. **प्राप्त कोटेशन की अंतिम तिथि और समय:**

आपसे अनुरोध है कि सीलबंद कोटेशन 05.02.2024 को शाम 03 बजे तक या उससे पहले भारतीय डाक /कूरियर/विद्यालय ड्राप बॉक्स द्वारा विद्यालय में पहुंच जाएगा, जिसमें लिफाफे पर "कैंटीन सेवाओं के लिए कोटेशन" लिखा होगा। कोटेशन 06.02.2025 को सुबह 10.00 बजे खोला जाएगा। बोली लगाने वाला उद्घाटन के समय उपस्थित हो सकता है।

प्राचार्य

नियम और शर्तें

1. उद्धृत मूल्य पैकेट पर मुद्रित एमआरपी से अधिक नहीं होगा।
2. खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री उच्च मानक और अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। चावल के दाने छोटे आकार के होने चाहिए और बाजार में उपलब्ध प्रीमियम/सर्वोत्तम गुणवत्ता के होने चाहिए। तेल ब्रांडेड होना चाहिए, सब्जी ताजा होनी चाहिए और दैनिक आधार पर खरीदी जानी चाहिए, अटा पाउडर, मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए।
3. खानपान हेतु बफर सिस्टम का पालन किया जाएगा।
4. खानपान के समय का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, नाश्ता- 07:00 बजे से 8.30 बजे, सुबह की चाय 11:00 बजे, दोपहर का भोजन 13:00 बजे से 13.45 बजे, शाम को पढ़ाने के लिए 15:45 घंटे और रात का खाना 20:00 घंटे से 21:00 घंटे तक।
(विद्यालय के अनुसार समय बदल सकता है)
5. फर्म भोजन की तैयारी और सेवा और उपयोग किए गए पात्रों आदि की धुलाई के लिए आवश्यक सामग्री और पुरुषों की व्यवस्था करेगी और उन सभी को पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। भोजन परोसने के लिए उचित वर्दी के साथ कम से कम 3 पदाधिकारियों को लगाया जाना चाहिए।
6. भोजन तैयार करने और पकाने की निगरानी प्रिंसिपल द्वारा नामित एक समिति द्वारा की जाएगी जिसकी रिपोर्ट अंतिम होगी।
7. कैटरर द्वारा आवश्यक संख्या में स्वच्छ प्लेट, और अन्य सर्विंग कटोरे, चम्मच, टंबलर, गिलास, नैपकिन और सर्विंग टेबल आदि के लिए सफेद शीट लाई जानी है।
8. उपयोग किए गए बर्तनों को धोने और अन्य सफाई कार्य के लिए संक्षिप्त निर्देश निम्नानुसार हैं:
 - i. बचा हुआ भोजन विद्यालय स्थल / स्थान से हटा दिया जाना चाहिए जहां इसे परोसा जा रहा है और परिसर के अंदर नहीं फेका जाना चाहिए।
 - ii. प्लेटों और अन्य सभी बर्तनों को एक साफ तौलिया से पोंछना चाहिए। यदि क्रॉकरी की वस्तुओं के किसी प्रकार की टूट फूट होती है तो इसे कैटरर द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के बदला जाना चाहिए।
 - iii. विद्यालय में आवश्यकता पड़ने पर चाय/कॉफी तैयार की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी खाना पकाने के उपकरण, बर्तन, एलपीजी, गैस स्टोव आदि कैटरर द्वारा अतिरिक्त लागत के बिना प्रदान किए जाने चाहिए।
 - iv. पदाधिकारियों को विद्यालय में ड्यूटी के दौरान उचित अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए।
 - v. किसी भी बिजली के हीटिंग उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - vi. कैटरर द्वारा पीने के उद्देश्य के लिए पर्याप्त शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
9. प्रत्येक अनुबंध के संतोषजनक समापन के बाद 15 कार्य दिवसों के भीतर चेक से भुगतान किया जाएगा, लागू टीडीएस/ जीएसटी की कटौती के बाद। यदि प्राचार्य द्वारा नामित समिति द्वारा प्रदान की गई सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो प्रिंसिपल के विवेक पर अनुबंध मूल्य का 2 से 5% का जुर्माना लगाया जाएगा, जो बाध्यकारी और अंतिम होगा। प्रतिभागियों द्वारा उपभोग के लिए उपयुक्त भोजन की खराब गुणवत्ता के मामले में, भोजन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त लागत खर्च की जाएगी। बाहर से भोजन की खरीद अनुबंध के कारण बाद के भुगतान से वसूली जाएगी। इसके अलावा फर्म को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और भविष्य में अपनी निविदा जमा करने से मना किया जा सकता है।
10. सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक और भोजन-वार शुरू होने वाले पूरे एक दिन के लिए प्रति व्यक्ति (अस्थायी मेनू में उल्लिखित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए) दर उद्धृत की जानी चाहिए।
11. किसी भी परिस्थिति में कैटरर के दौरान परोसे गए भोजन के लिए प्रतिभागियों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा या पैसे एकत्र नहीं करेगा क्योंकि भोजन शुल्क विद्यालय द्वारा वहन किया जाता है।
12. विद्यालय किसी भी समय बिना कोई कारण बताए अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं और अगले सफल बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करती हैं, तो उस स्थिति में, ठेकेदार अपनी security money खो देगा।
13. बिजली का चार्ज फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
14. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी कर्मियों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।

दिन-प्रतिदिन कैटीन चलाने के लिए शर्तें

1. विद्यालय ,ठेकेदार को कैटीन के स्थान के लिए एक कमरा प्रदान करेंगे। कमरे का किराया पानी और बिजली के शुल्क को छोड़कर अग्रिम रूप से मासिक रूप से लिया जाएगा।
2. ठेकेदार प्रधानाचार्य के अनुमोदन के बिना अपनी लागत पर भी जमीन पर किसी स्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा या परिसर में कोई अतिरिक्त या परिवर्तन नहीं करेगा।
3. ठेकेदार को दिए गए परिसर को ठेकेदार या उसके नौकरों के आवासीय सहित किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. कि ठेकेदार खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, सफाई, स्वच्छता और स्वच्छता बनाए रखेगा। अनुबंध के अपने कार्यकाल के दौरान विद्यालय की संपत्ति को हुई किसी भी क्षति के लिए वह प्रिंसिपल को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिनिधित्व, आवेदनों के लिए उत्तरदायी होगा।
5. ठेकेदार को केंद्रीय विद्यालय, ओईएफ, हजरतपुर, फिरोजाबाद द्वारा समिति और निर्देशों द्वारा दर सूची में निर्दिष्ट चीजों को बेचने के लिए अधिकृत किया जाएगा । बिक्री के लिए पेश की जाने वाली वस्तुओं को स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार और पूरा किया जाएगा। मर्दों और उनके मूल्य को प्रधानाचार्य द्वारा अनुमोदित किया जाना है और विद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के लिए बनाई गई कैटीन में प्रदर्शित किया जाना है। उपर्युक्त दरें मूलधन के बीच आपसी समझौते पर संशोधन के अधीन हैं। और ठेकेदार ने ऐसी स्थिति प्रदान की जो बाजार में मूल्य वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है।
6. यह कि बिक्री-आय (नकद या क्रेडिट) की वसूली ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी
7. कि ठेकेदार अपनी लागत पर कैटीन तैयार करेगा। ठेकेदार स्वच्छ और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और भोजन तैयार करने के लिए तेल की परिष्कृत गुणवत्ता के उपयोग के लिए विधिवत जिम्मेदार होगा।
8. कि ठेकेदार बिक्री के लिए वस्तुओं की खरीद और तैयारी के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा, बैठने की व्यवस्था, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर की जाएगी।
9. ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकता है।

प्राचार्य

उपरोक्त सभी शर्तों को मेरे / हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

फर्म की मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक : _____

Proforma for items required

1. फर्म का नाम / खानपान सेवा: _____

2. मालिक का नाम: _____

3. पता: _____

टेलीफोन No. _____

4. लाइसेंस नं. / खाद्य सुरक्षा और मानक प्रमाण पत्र (तक मान्य): _____

5. पैन / टिन / जीएसटी नंबर (संलग्न फोटो कॉपी) _____

प्रति दिन प्रति व्यक्ति उद्धृत दर (दिए गए अस्थायी मेनू के अनुसार)

भाग - ए (पूरे दिन सुबह से शाम तक)

S. No.	विवरण (उद्धरण के लिए अनुरोध में उल्लिखित मेनू के अनुसार)	जीएसटी के बिना कुल राशि	जीएसटी/कोई भी कर	सेवा कर, यदि कोई हो,	कुल राशि
1	सुबह का नास्ता				
2	लंच				
3	शाम की चाय ,जूस /काफी /स्नेक्स				
4	डिनर				
5.	इडली सांभर 03 नग चटनी के साथ				
6।	उपमा/पोहा 150 ग्राम				

फर्म तिथि की मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

विद्यालय में चल रही दिन-प्रतिदिन की कैंटीन के लिए उद्धृत दर.

Part – F

Canteen Rent Per month (without Electricity) : Rs. _____

S. No.	Particulars (As per Menu mentioned in the requisition for quotation)	Total Amount Without GST	GST/Any Tax	Service Tax if any	Total Amount Rs.
1	Tea				
2	Coffee				
3	Samosa				
4	Patties				
5	Burger				
6	Pasties				
7	Bundi Laddu Per Piece (Best Quality Refined Oil)				
8	Mathri per Piece				
9	Butter (20 Gram) per piece				
10	Bread (2Piece) Big				
11	Colddrinks 300 ml (कीमत पर छूट की दर लिखे)				
12	Toffe				
13	Biscuits Per Pkt. (कीमत पर छूट की दर लिखे)				
14	Milk 200 ml				
15	Bedai (बेडई) per piece				
16	Bread Pakora per piece				
17	Kchori (Aloo/Daal) per piece				
18	Fruit Juice (200ml) (कीमत पर छूट की दर लिखे)				

SIGNATURE OF THE TENDERER
WITH SEAL OF THE FIRM
DATE: _____